न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बच्चूसिंह जाट पुत्र श्री रामस्वरूप जाट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बीजलपुर तहसील करौली जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी, करौली आदेश दिनांक 01.10.2019 उनवानी सरकार बनाम बच्चूसिंह जाट मुकदमा संख्या 158 / 19 निर्णय दिनांक 01.10.2019

निर्णय

दिनांक 18.11.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें पाई गई अनियमिततओं अप्रार्थी द्वारा दुकान बंद रखना, 258 किलोग्राम गेंहूं, 45 किलोग्राम चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना आदि के आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश दिनांक 01.10.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून, रूहेदाद मिसल है एवं लायक मंसूख है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज एवं जवाब का अवलोकन ना कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। निरीक्षण के समय उस दिन दुकान खुली हुई थी। उपभोक्ता को सामग्री वितरित की गई थी। अपीलाण्ट का उपवास होने के कारण अपीलाण्ट शाम 5 बजे अपने घर खाना खाने चला गया था फिर आकर अपीलाण्ट ने अपनी दुकान खोली थी। मेरे द्वारा टेलीफोन पर भी निरीक्षण कर्ताओं को बता दिया था कि उपवास है। खाना खाकर आ रहा हूं। प्रार्थी के पास मास सितंबर 2016 से माह जुलाई 2019 तक गेंहूं की आमद 1672.99 क्विं. तथा वितरण 1640.1 क्विं. किया गया था तथा शेष 32 क्विं. 88 किलो स्टॉक शेष था जो ऑनलाइन है। केरोसीन की आमद सितंबर 2016 से जुलाई 2019 तक 7950 लीटर एवं वितरण 7950 लीटर था। शेष स्टॉक निल है जो ऑनलाइन है। चीनी माह सितंबर 2016 से जुलाई 2019 तक आमद 7 क्विं. नहीं थी तथा वितरण 403.77 किलोग्राम किया गया था। शेष स्टॉक 2.23 क्विं. ऑन लाइन है। प्रार्थी ने खाद्यान्न वितरण में कोई अनियमितता नहीं की गई थी। सारा इन्द्राज ऑनलाइन है। नियम अनुसार प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा वितरण किया गया था। प्रार्थी के स्टॉक में 45 किलो चीनी है जिसका कार्यालय द्वारा इन्द्राज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा वितरण में अनियमितता नहीं की गई थी। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 29.06.2019 को अपीलार्थी की दुकान का जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम जांच की गई। वक्त जांच दुकान बंद पायी गई जिसे दूरभाष पर अपीलार्थी डीलर से सम्पर्क कर एवं बुलवा कर खुलवाया गया। वक्त जांच पोस मशीन में 97 किलोग्राम चीनी, 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं 2978 किलोग्राम गेंहूं दर्ज पाया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं 79 क्विं., केरोसीन शून्य लीटर एवं चीनी 197 किलोग्राम पायी गई। डीलर ने बताया कि माह जुलाई 19 के पेटे 51.80 क्विं. गेंहूं की आमद हुई है जिसकी बिल्टी अपीलार्थी डीलर द्वारा पेश की गई। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर समीक्षा करने पर वक्त जांच अपीलार्थी के पास माह जून 2019 का प्रारंभिक स्टॉक 4519 किलोग्राम गेंहूं, माह जून 19 व जुलाई 19 की आमद 9776 किलोग्राम कुल 14295 किलोग्राम गेंहूं में से 6137 किलोग्राम गेंहूं के वितरण उपरांत 8158 किलोग्राम गेंहूं होना चाहिये था जो 258 किलोग्राम गेंहूं कम पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 को प्रारंभिक स्टॉक 0 क्विं. चीनी एवं वक्त जांच तक आमद 7 क्विं. चीनी में से 4.58 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 2.42 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी जो 45 किलोग्राम चीनी कम पायी गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 को प्रारंभिक स्टॉक 0 लीटर केरोसीन एवं वक्त जांच तक आमद 7950 लीटर केरोसीन में से 7776.2 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 173.8 लीटर केरोसीन अपीलार्थी के पास होना चाहिये था जो 00(शून्य) लीटर पाया गया। इस प्रकार 173.8 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी डीलर द्वारा 258 किलोग्राम गेंहूं, 45 किलोग्राम चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन कम पाया गया है जिसका अपीलार्थी द्वारा दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितता है जिसके आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत् है। मौके पर बनाये गये फर्द मौका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं जिनसे भौतिक सत्यापन पर पाई गई सामग्री प्रमाणित होती है। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में शेष स्टॉक के केवल ऑनलाइन होने का तथ्य अंकित किया गया है, मौके पर उपलब्ध स्टॉक का जिक्र तक नहीं किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 29.06.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त जांच दुकान बंद पायी गई जिसे अपीलार्थी से दूरभाष पर संपर्क कर एवं बुलवाकर खुलवाया गया। अपीलार्थी की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 7900 किलोग्राम गेंहूं, 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं 197 किलोग्राम चीनी पायी गई। कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी की दुकान की समीक्षा करने पर अपीलार्थी के पास वक्त जांच 8158 किलोग्राम गेंहूं, 2.42 क्विं. चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर वक्त जांच 258 किलोग्राम गेंहूं, 45 किलोग्राम चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितता है। अपीलार्थी द्वारा ऑनलाइन स्टॉक का तथ्य तो अपील में अंकित किया गया है लेकिन वक्त जांच मौके पर पाये गये स्टॉक के संदर्भ में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कम पाये गये स्टॉक को पूर्ण होना, बताना अपीलाण्ट की ''बाद की सोच'' को दर्शाता है। यदि अपीलाण्ट के पास स्टॉक पूर्ण होता तो वक्त जांच मौके पर ही निरीक्षण दल को निरीक्षण करवाया गया होता। वक्त जांच बनाये गये फर्दमौका पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हैं जिनसे यह प्रमाणित है कि वक्त जांच स्टॉक पूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त सूचना बोर्ड पर राशन दुकान बंद रखने का कारण अंकित किये बिना

राशन दुकान को बंद नहीं रखा जा सकता है। दुकान के बंद रखने के कारण उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण भी समय पर नहीं हो पाता है जिससे सरकार की गरीब उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मंशा भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 01.10.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:10:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: